न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः सी. आर. देवासी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 128 / 2023 अपील (GCMS 2023/131)
पंजीयन दिनांक– 11 / 09 / 2023
निर्णय दिनांक– 25 / 08 / 2025

1. श्री नारू पिता चतरभुज जाट, निवासी जूणदा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद।
2. श्री माधुलाल पिता प्यारचंद जाट, निवासी जूणदा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद।
3. कमलाबाई पिता प्यारचंद जाट, निवासी जूणदा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद।
4. श्री मुकेश पिता चुना जाट, निवासी जूणदा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद।

–अपीलांट्स

बनाम

1. श्रीमती मांगीबाई पिता चतरभुज जाट पत्नि रतनलाल जाट, निवासी वगतपुरा, तहसील आमेट, जिला राजसमंद।
2. श्री कालुराम पिता प्यारचंद जाट, निवासी जूणदा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–

1. श्री दुर्गासिंह शक्तावत — अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री दिपेश सनाढ्स — अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1

अपील अन्तर्गत धारा–76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध, उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा, जिला राजसमंद के प्रकरण संख्या 01 / 2022 (ना. क. अपील) निर्णय दिनांक 18.01.2023

<u>निर्णय</u>

दिनांक 25 / 08 / 2025

अपीलांट्स द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा, जिला राजसमंद के प्रकरण संख्या 01 / 2022 (ना. क. अपील) निर्णय

दिनांक 18.01.2023 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन आदेश मय शपथ पत्र के साथ न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के न्यायालय में पेश की गई। राजस्व (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 05.08.2023 एवं कार्यालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 1485 दिनांक 06.09.2023 के क्रम में जिला चित्तौड़गढ़, राजसमंद एवं सलूम्बर के राजस्व प्रकरणों के सूनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त उदयपुर को प्रदान किये जाने से उक्त हस्तगत अपील न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से स्थानांतरित होने से इस न्यायालय में दिनांक 11.09.2023 को दर्ज की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 1 श्रीमती मांगीबाई/अपीलांट संख्या 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा, जिला राजसमंद के न्यायालय में एक अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत विरूद्ध नामांतरकरण संख्या 1157 निर्णय दिनांक 10.12.2001 ग्राम पंचायत जूणदा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया कि रेस्पोडेंट के पिता चतरभुज के चार लडके प्यारचंद, नारू, मदनलाल, चुन्नीलाल व एक लडकी वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 1 श्रीमती मांगीबाई/अपीलांट संख्या 2 उत्पन्न हुई थी। वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 1 श्रीमती मांगीबाई/अपीलांट संख्या 2 चतरभुज की जाईन्दा संतान होकर नामांतकरण संख्या 1157 निर्णय दिनांक 10.12.2001 ग्राम पंचायत जूणदा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद में वर्णित कुल किता 23 आराजीयात कुल रकबा 157–13 बीघा में अपने हस्से से वंचित कर दिया गया है। अतः नामांतरकरण संख्या 1157 निर्णय दिनांक 10.12.2001 को निरस्त फरमाया जाकर उक्त नामांतरकरण में वर्णित आराजीयात में वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 1 श्रीमती मांगीबाई/अपीलांट संख्या 2 का नाम उसके हिस्से अनुसार अंकित फरमाया जावें। उक्त अपील पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा, जिला

राजसमंद द्वारा अपने प्रकरण संख्या 01/2022 निर्णय दिनांक 18.01.2023 से वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 1/अपीलांट्स 2 की अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण तहसीलदार, रेलमगरा को प्रतिप्रेषित किया जाने से व्यथित/असंतुष्ट होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 18.01.2023 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया है:–*"अतः अपीलांट संख्या 2 की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर ग्राम जूणदा के ना. क. स. 1157 निर्णय दिनांक 10.12.2001 को खारिज किया जाता है एवं तहसीलदार, रेलमगरा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह वादग्रस्त भूमियों के पूर्व खातेदार चतरभुज पिता रामलाल जाट के विधिक वारिसान की जांच कर व पक्षकारान् को सुनकर नये सिरे से नामांतरकरण की कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें।"*

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री दुर्गासिहं शक्तावत उपस्थित रेस्पोडेंट रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री दिपेश सनाढ्स उपस्थित शेष रेस्पोडेंट बावजूद सूचना के अनुपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 20.08.2025 को सुनी गई।

अधीवक्ता अपीलांट्स ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट मगनलाल की ओर से अपील विड्रो कर दी गई थी, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश में स्पीकिंग आदेश दिया जाना चाहिए था कि अपीलांट संख्या 1 का कोई हक अधिकार नहीं रहेगा, यह आदेश न देकर अस्पष्ट आदेश दिया गया कि तहसीलदार, रेलमगरा चतरभुज पिता रामलाल जाट के वारिसान की जांच कर नामांतरकरण की कार्यवाही करे, जबकि मगनलाल को एक्सक्ल्यूड करना चाहिए था, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपने आप में विरोधाभाषी है। अपील के दौरान अपीलांट्स के द्वारा आदेश 41 नियम 3क के तहत अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवधि के बिन्दु

पर पृथक से पहले सुनवाई कर प्रार्थना पत्र निर्णित करने की प्रार्थना की गई व उस प्रार्थना पत्र के जवाब में पत्रावली नियत थी। तब अपीलांट की ओर से अवधि एवं अपील दोनो को मेरिट पर निर्णय किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर रेस्पोडेंट ने जवाब बंद कराया। मेरिट का अर्थ अवधि के बिन्दु को पृथक से तय न कर अपील मेरिट पर निर्धारित की जाने पर सहमति दी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील के निर्णय में अपील अंदर अवधि में नहीं थी अथवा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य किया गया अथवा नहीं पर कोई आदेश न देकर सीधा ही अपील स्वीकार करने का आदेश प्रदान कर दिया गया। ऐसा आदेश स्थिर रहने योग्य नही होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 10.12.2001 के बाद की हुई देरी के बारे में एक शब्द भी अवधि कण्डोन करने हेतु अभिकथन नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में अपने आप में देरी कण्डोन नहीं हो सकती है, अवधि कण्डोन किये जाने में अपीलांट की ओर से सहमति नहीं दी गई, बल्कि अपील को गुणावगुण पर निर्धारित करने पर सहमति दी गई। जिसका अर्थ अधीनस्थ न्यायालय ने गलत निकाला गया। अवधि के कण्डोन करने के प्रार्थना पत्र पर कोई निर्णय नहीं किया गया 19 वर्ष की देरी से अपील प्रस्तुत करना, कोई कारण दर्शित नहीं करना, अवधि के बिन्दुओं को अंदर अवधि मान लिये जाने में सहमति नहीं दी गई। अवधि कण्डोन करने के बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय मौन है, जिससे उक्त आदेश/निर्णय निरस्त होने योग्य है। अधीवक्ता अपीलांट्स द्वारा अपनी बहस के समर्थन में विविध दृष्टान्त एवं न्यायिक विनिश्चय क्रमशः RRT 2010 (1) Page 310, RRT 2010 (2) Page 1223, RRT 2010 (1) Page 125, DNJ 2007 (3) Page 1657, RRT 2010 (1) Page 625, RRT 2006 (2) Page 1085 का हवाला प्रस्तुत कर अपील अपीलांट्स स्वीकार करने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अपनी बहस में बताया कि अपीलाधीन भूमि श्रीमती मांगीबाई की मौरूसी (पैतृक) संपत्ति है तथा

हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम में प्रत्येक विधिक वारिसान को समान हक व अधिकार निहित कर रखा है। रेस्पोडेंट के पिता चतरभुज के चार लडके प्यारचंद, नारू, मदनलाल, चुन्नीलाल व एक लडकी रेस्पोडेंट संख्या 1 श्रीमती मांगीबाई उत्पन्न हुई थी। रेस्पोडेंट संख्या 1 श्रीमती मांगीबाई चतरभुज की जाईन्दा संतान होकर नामांतकरण संख्या 1157 निर्णय दिनांक 10.12.2001 ग्राम पंचायत जूणदा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद में वर्णित कुल किता 23 आराजीयात कुल रकबा 157–13 बीघा में अपने हस्से से वंचित कर दिया गया जाने से अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की गई, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 18.01.2023 से उचित एवं नियमानुसार निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट्स खारिज की जाने बाबत निवेदन किया गया।

प्रकरण में उभयपक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। अब हम प्रकरण में अपील में गुणावगुण पर निर्णय पारित करना उचित समझते हैं। वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 1 श्रीमती मांगीबाई/अपीलांट संख्या 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा, जिला राजसमंद के न्यायालय में एक अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत विरूद्ध नामांतरकरण संख्या 1157 निर्णय दिनांक 10.12.2001 ग्राम पंचायत जूणदा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया कि रेस्पोडेंट के पिता चतरभुज के चार लडके प्यारचंद, नारू, मदनलाल, चुन्नीलाल व एक लडकी वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 1 श्रीमती मांगीबाई/अपीलांट संख्या 2 उत्पन्न हुई थी। वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 1 श्रीमती मांगीबाई/अपीलांट संख्या 2 चतरभुज की जाईन्दा संतान होकर नामांतकरण संख्या 1157 निर्णय दिनांक 10.12.2001 ग्राम पंचायत जूणदा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद में वर्णित कुल किता 23 आराजीयात कुल रकबा 157–13 बीघा में अपने हस्से से वंचित कर दिया गया है। अतः नामांतरकरण संख्या 1157

निर्णय दिनांक 10.12.2001 को निरस्त फरमाया जाकर उक्त नामांतरकरण में वर्णित आराजीयात में वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 1 श्रीमती मांगीबाई/अपीलांट संख्या 2 का नाम उसके हिस्से अनुसार अंकित फरमाया जावें। उक्त अपील पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा, जिला राजसमंद द्वारा अपने प्रकरण संख्या 01/2022 निर्णय दिनांक 18.01.2023 से वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 1/अपीलांट्स 2 की अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण तहसीलदार, रेलमगरा को प्रतिप्रेषित किया जाने से व्यथित/असंतुष्ट होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि मूल पुरूष श्री चरतभुज पिता रामलाल जाट, निवासी जूण्दा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद की मृत्यु के उपरांत उनके वारीसानों में चार पुत्र मगनलाल, प्यारचंद, नारू तथा चुन्नीलाल एवं एक पुत्री मांगीबाई है। चुन्नीलाल फोत होकर चुन्नीलाल के वारिस भैरूलाल व मुकेश है तथा भैरूलाल भी लाऔलाद फौत हुआ एवं प्यारचंद का भी देहांत होने से उनके वारिस श्री माधुलाल, कालुलाल व कमलाबाई होना प्रकट होता है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाधीन भूमि श्रीमती मांगीबाई की मौरूसी (पैतृक) संपत्ति है तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम में प्रत्येक विधिक वारिसान को समान हक व अधिकार निहित कर रखा है।

हिन्दु उत्तराधिकार संशोधित अधिनियम 2005 की धारा 08 के अनुसार हिन्दु पुरूष की निर्वसियती मृत्यु हो जाने पर उसकी संपति में उसके पुत्र एवं पुत्रियों को विरासतीय अधिकार रेस्पोडेंट संख्या 1 मांगीबाई के होना प्रमाणित पाया जाता है।

इस प्रकरण में हिंदु उत्तराधिकार अधिनियम के धारा–8 व 10 के प्रावधानों का उल्लेख किया जाना उचित समझते है, जिसके अनुसारः–

Section 8 provides for the general rules of succession applicable to the devolution of the property of a male Hindu dying intestate.44 The property devolves firstly, on the heirs specified in Class I of the Schedule; if there is no heir of Class I, then, on the heirs specified in Class II; if there is no heir in any of the two classes, on agnates and if there are no agnates, then upon the cognates of the deceased. Section 9 provides for the order of succession among the heirs in the Schedule. Section 10 provides for the distribution of property among heirs in Class I of the Schedule in the following terms:

"10. Distribution of property among heirs in class I of the Schedule.—

The property of an intestate shall be divided among the heirs in class I of the Schedule in accordance with the following rules:—

Rule 1.— The intestate's widow, or if there are more widows than one, all the widows together, shall take one share.

Rule 2.— The surviving sons and daughters and the mother of the intestate shall each take one share.

Rule 3.— The heirs in the branch of each pre-deceased son or each pre-deceased daughter of the intestate shall take between them one share.

Rule 4.— The distribution of the share referred to in Rule 3—

(i) among the heirs in the branch of the pre-deceased son shall be so made that his widow (or widows together) and the surviving sons and daughters gets equal portions; and the branch of his predeceased sons gets the same portion;

(ii) among the heirs in the branch of the pre-deceased daughter shall be so made that the surviving sons and daughters get equal portions."

In terms of Section 10, the division of property of an intestate among the heirs in Class - I is governed by the four Rules extracted above. They stipulate that

(i) the widow or if there is more than one all of them together shall take one share;

(ii) the surviving sons and daughters and mother shall each take one share; and

(iii) heirs in the branch of each pre-deceased son or each pre-deceased daughter take between them one share.

Class-I of the Schedule is in the following terms:

"Son; daughter; widow; mother; son of a pre-deceased son; daughter of a pre-deceased son; son of a predeceased daughter; daughter of a pre-deceased daughter; widow of a pre-deceased son; son of a predeceased son of a pre-deceased son; daughter of a pre-deceased son of a pre-deceased son; widow of a predeceased son of a pre-deceased son; [son of a predeceased daughter of a pre-deceased daughter; daughter of a pre-deceased daughter of a pre-deceased daughter; daughter of a pre-deceased son of a pre-deceased daughter; daughter of a pre-deceased daughter of a predeceased son]."

उपयुक्त क्रम में हम माननीय सर्वोच्यय न्यायालय के निम्नांकित दृष्टांतों का उल्लेख किया जाना उचित समझते है जो हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी के पक्ष को साबित करते हैः

SUPREME COURT OF INDIA- Arunachala Gounder (Dead) By Lrs. – Appellant Versus Ponnusamy And Ors. – Respondent, Civil Appeal No. 6659 of 2011, Decided on : 20-01-2022

(A) Hindu Succession Act, 1956 – Sections 14 and 15 – Female Hindu succession – Right of a widow or daughter to inherit self-acquired property or share received in partition of a coparcenary property of a Hindu male dying intestate is well recognized not only under old customary Hindu Law but also by various judicial pronouncements – If a property of a male Hindu dying intestate is a self-acquired property or obtained in partition of a coparcenary or a family property, same would devolve by inheritance and not by survivorship and a daughter of such a male Hindu would be entitled to inherit such property in preference to other collaterals. (Para 66)

इस आदेश में वर्णित माननीय उच्चतम न्यायालय के विभिन्न न्यायिक दृष्टातों से जाहिर यह विधिक स्थिति प्रकट होती है कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 – धारा 14 व 15 – महिला हिन्दु उत्तराधिकार – एक विधवा या बेटी का स्व–अर्जित संपत्ति या बिना वसीयत के मरने वाले हिन्दु पुरूष की सहदायिक संपत्ति के विभाजन में प्राप्त हिस्से को विरासत में पाने का अधिकारी न केवल पुराने प्रथागत हिन्दु कानून के तहत बल्कि विभिन्न न्यायिक घोषणाओं के तहत अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त हैः– यदि बिना वसीयत के मरने वाले हिन्दु पुरूष की संपत्ति स्व–अर्जित संपत्ति है या सहदायिक या पारिवारिक संपत्ति के रूप में प्राप्त हुई है, तो यह उत्तराधिकार के तहत प्राप्त होगी न कि उत्तरजीविता द्वारा और ऐसे हिन्दु पुरूष की बेटी अन्य संपार्श्विक के मुकाबले ऐसी संपत्ति को विरासत में प्राप्त करने की हकदार होगी। इसके अतिरिक्त यह सिद्वान्त भी प्रतिपादित किया गया है कि जहां हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्राकृतिक वारिसान, जिसमें उक्तानुसार प्रथम श्रेणी के वारिसान को वरियता प्रदान की जानी है, के नाम नामन्तरकरण स्वीकृत किया जाना चाहिए। हस्तगत प्रकरण में श्री चतरभुज पिता रामलाल जाट के प्रथम श्रेणी की विधिक वारिसानों के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाना अपेक्षित था।

उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति के दृष्टिगत यह न्यायालय पाता है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील पर विधिक एवं तथ्यात्मक परीक्षण उपरांत एवं पर्याप्त कारण अंकित करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें यह न्यायालय कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नही पाता है।

अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अपील अपीलांट्स सारहिन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा, जिला राजसमंद का निर्णय दिनांक 18.01.2023 यथावत रखा जाता है तथा अपीलांट्स अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड

अधिकारी, रेलमगरा, जिला राजसमंद द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.01.2023 में अंकित ऑबजरवेशन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, रेलमगरा के न्यायालय में चाराचोही करें।

(सी. आर. देवासी)
अति. संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(सी. आर. देवासी)
अति. संभागीय आयुक्त
उदयपुर